आसु व अन्य बनाम वन्नासिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः– 92/2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–17/01/2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या –92/2023 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 04/08/2023
निर्णय दिनांक –17/01/2025

अनवान

1. आसु पिता नेना जाति सरगरा आयु 45 वर्ष निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0) मो0 नम्बर 7742978474
2. संतोषदेवी पत्नि आसुराम जाति सरगरा आयु 40 वर्ष निवासी ईशरमण्ड तहसील देवगढ जिला राजसमन्द (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. वन्नासिंह पिता नारूसिंह जाति रावत आयु 26 वर्ष निवासी हीरा की बस्सी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान
2. हुक्माराम पिता कनीराम जाति खटीक आयु बालिग निवासी खटीको का मोहल्ला देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. होनसिह पिता किशनसिह जाति राजपुत आयु बालिग निवासी सोलंकी दरवाजा देवगढ़ तहसील देवगढत्र जिला राजसमन्द राज.
4. पवन कुमार पिता मुरलीधर पानेरी आयु बालिग निवासी देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत किया कि ग्राम देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

आसु व अन्य बनाम वन्नासिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः– 92 / 2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–17 / 01 / 2025

खाता संख्या 478 के खसरा संख्या 172 / 5679 रकबा 0.5400 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.5400 हैक्टर एवं खाता संख्या 482 के खसरा संख्या 172 / 5677 रकबा 0.5400 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.5400 हैक्टर भूमि होकर स्थित है। प्रार्थीगण की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 मे वर्णित खसरा नम्बर की भूमि की अब तक प्रार्थी ने पत्थरगढी नही कराई है। यह कि मौके पर प्रार्थी की इस प्रार्थना पत्र की कॉलम सं0 1 की भुमी से विपक्षीगण स0 1 , 2, 3 व 4 की भूमि पास – पास में होकर स्थित है । अन्य दिशा में भूमी प्रार्थीगण कि ही है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण की जमीन पास पास मे होकर मिली हुई है जमीन की सीमा के सम्बन्ध मे विवाद बना रहता है। फसल काटते व बुआई के समय पाली वगैरा का विवाद रहता हैं और इस समस्या का स्थाई समाधान प्रार्थीगण की उक्त जमीन की पत्थरगढी कराने से ही हल हो सकता है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण का भी यही कहना है कि तुम अपनी जमीन की पत्थरगढी करा लो और पत्थरगढी से तुम्हारी जमीन की जो सीमा कायम होगी उससे हम लोग पाबन्द रहेगे जिससे भी प्रार्थीगण को अपनी उक्त जमीनो की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण अन्त मे दि0 15.05.2022 को स्थान ग्राम देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ मे प्रार्थी की उक्त जमीन की सीमा सम्बन्धी विवाद करने से ग्राम देवगढ़ तहसील देवगढ मे पैदा हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि ग्राम देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ की सीमा मे प्रार्थी के खाते व कब्जे की भूमि जिसके वर्तमान खाता संख्या 478 के खसरा संख्या 172 / 5679 रकबा 0.5400 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.5400 हैक्टर एवं खाता संख्या 482 के खसरा संख्या 172 / 5677 रकबा 0.5400 हैक्टर

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

आसु व अन्य बनाम वन्नासिंह व अन्य
प्रकरण संख्याः– 92 / 2023(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–17 / 01 / 2025

कुल किता 1 रकबा 0.5400 हैक्टर हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी जरीये नपती नियमानुसार मौके पर नायब तहसीलदार साहब देवगढ के निर्देशन में कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 04 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम देवगढ़ पटवार सर्कल देवगढ़ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में वर्तमान खाता संख्या 478 के खसरा संख्या 172/5679 रकबा 0.5400 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.5400 हैक्टर एवं खाता संख्या 482 के खसरा संख्या 172/5677 रकबा 0.5400 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.5400 हैक्टर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे/रकबा कम/ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द